संख्या- 8 /2023/ 427/23-2-23 /002-43 SA 2021

प्रेषक,

अभय कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023

विषयः- जनपद प्रयागराज में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत प्रयाग-लखनऊ रेल खण्ड पर प्रयाग स्टेशन से फाफामऊ रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे किमी 149/10-11 पर सम्पार संख्या-75ए (तेलियरगंज/मजार से बड़ा बघाड़ा/सलोरी सड़क मार्ग) पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए अवशेष धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-06/2023/136/23-2-23/43(सा0)/2021 दिनांक 24.03.2023 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3765/सीई-एचक्यू1/लैण्ड एसीक्यू/पीआरजे/2022-23, दिनांक 30.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत प्रयाग-लखनऊ रेल खण्ड पर प्रयाग स्टेशन से फाफामऊ रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे किमी 149/10-11 पर सम्पार संख्या-75ए (तेलियरगंज/मजार से बड़ा बघाड़ा/सलोरी सड़क मार्ग) पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए पुनरीक्षित लागत रू0 5566.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 903.00 लाख (रूपये नौ करोड़ तीन लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/कार्यालय ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
(3) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के ऑनलाईन आवंटन किय जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04.05.2022 तथा कार्य मदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95 दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था /शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-जून-2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या -23/2022 /बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04.11.2022 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7)- उक्त परियोजना की स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-20/2021/886/23-2-2021 दिनांक 28.12.2021, शासनादेश संख्या-02/2022/136/23-2-22-43(सा0)/2021 दिनांक 09.03.2022 एवं शासनादेश संख्या- 06/2023/136/23-2-23/43(सा0)/2021 दिनांक 24.03.2023 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे तथा मूल शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,03,00,000 (रुपये नौ करोड़ तीन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371320 मार्ग एवं लघु सेतु के चालू कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 8 /2023/ 427/23-2-23 /002-43 SA 2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/) द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, प्रयागराज।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।